



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122020-224005
CG-DL-E-30122020-224005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4138]
No. 4138]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSA 7, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4701(अ).—केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4017 तारीख 20 सितंबर, 1983 के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध क्रम सं. 1 (दी गई सारणी में) तथा पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन के संबंध में इसकी संबंधित प्रविष्टियों से है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

अधिकारी का पदनाम (1)	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं (2)
उप महाप्रबंधक (प्रशासन), दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन (डीटीपीएस)	दुर्गापुर स्टील प्लांट टाउनशिप के भीतर वारिया, दुर्गापुर और बेनाचिंति में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर दामोदर घाटी निगम के

	स्वामित्व में, पट्टे पर या उनके द्वारा किराये पर लिए गए फिटिंग्स और फिक्स्चर्स सहित सभी भूमि, भवन, क्वार्टर, आउटहाउस और अन्य आवास।
--	--

[फा.सं. 01/03/2020-डीवीसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2020

S.O. 4701(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Energy (Department of Power) number S.O. 4017, dated the 20th September, 1983, in so far as it relates to serial number 1 (in the Table therein) and the entries relating thereto in respect of the Durgapur Thermal Power Station of Damodar Valley Corporation in the State of West Bengal, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Deputy General Manager (Admin), Durgapur Thermal Power Station (DTPS)	All lands, buildings, quarters, outhouses and other accommodation including fittings and fixtures owned or leased or rented by Damodar Valley Corporation within the local limits of its jurisdiction at Waria, Durgapur and Benachiti within Durgapur Steel Plant Township.

[F. No. 01/03/2020-DVC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4702(अ).—केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4017 तारीख 20 सितंबर, 1983 के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध क्रम सं. 2 (दी गई सारणी में) तथा झारखंड (पूर्ववर्ती बिहार) राज्य में दामोदर घाटी निगम के मैथॉन जल विद्युत स्टेशन के संबंध में इसकी संबंधित प्रविष्टियों से है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
उप महाप्रबंधक (प्रशासन), मैथॉन जल विद्युत स्टेशन	मैथॉनदायां किनारा, धनबाद तथा मैथॉनबायां किनारा, बुरद्वान में अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व